न्यायालय श्री मान राजस्व मन्डल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

राजस्व निगरानी क्रमांक । ६४

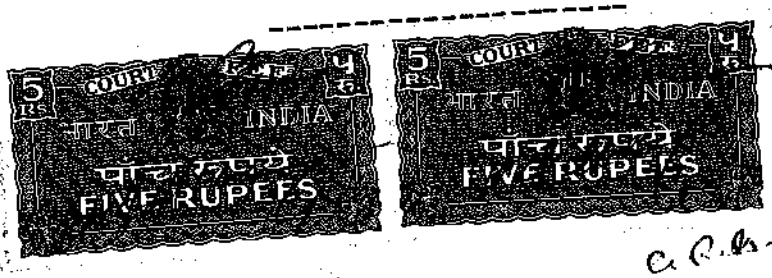

5 COURT INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES

RN/101/R/1025/94

क्रमांक ...... श्री स्वरूप कि० चतुर्वेदी ...... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 6.10.94 को प्रस्तुत

उप रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

C.C.R.-10/-
2

मृत यज्ञशरण तनय सीता राम ब्रा० निवासी ग्राम बीड़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म०प्र० -------- आवेदक

1 जगदीशप्रसाद 2 मंगलदीन 3 रामशंकर पुत्रगण स्व० यज्ञशरण 4 शांतीदेवी पत्नी स्व० यज्ञशरण निवासीगण ग्राम बीड़ा तह सिरमौर

बनाम

१- रामनिवास तनय सीता राम ब्रा० मृत — 1 हीरालाल 2 रामवक्श 3 रामकिशोर पुत्रगण स्व० रामनिवास

२अ- मु०० मनिरिया बेवा पत्नी रामविलास

२ब- मु०० चन्द्रकली पुत्री रामविलास निवासीगण ग्राम बीडा, टोला कुल्लू तहसील सिरमौर, जिला रीवा म०प्र०

२-स मु०० फूलावकली पुत्री रामविलाष पत्नी चन्द्रभान ब्रा०साकिन ग्राम डगडैया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म०प्र०

३- शासन म०प्र० ------ अनावेदकगण

माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका दि. 2-5-13 के पालन में आवेदक क्र. 1 व अनावेदक क्र. 1 मृतक के वारिसानों के नाम लाल स्याही से संशोधित किये। WS 6.10.94

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा दि० २७-८-६४ जो प्रकरण क्रमांक ३२१। ८५। ८६ मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता सन १६५६ ईस्वी।

मान्यवर, निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत ~~करते~~ है:-

१- यह कि निर्णय व आदेश अधी० न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

-२

M

जयप्रकाश

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1025/94 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
25–5.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 321/85-86 में पारित आदेश दिनांक 27.8.94 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार सेमरिया के न्यायालय में भूमि स्वामी प्रमाणित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रश्नाधीन भूमियां शासकीय अभिलेखों में म0प्र0 शासन दर्ज है। नायब तहसीलदार सेमरिया ने अपने आदेश दिनांक 26.4.71 द्वारा भूमि खसरा न0 1775 के आंशिक क्षेत्रफल 19 डिस0 को आवेदक के हित में भूमिस्वामी प्रमाणित करने का आदेश दिया है। शेष नंबरों के संबंध में आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक नायब तहसीलदार सिरमौर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की।	

इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 30.5.80 को अपील स्वीकार करते हुये जांच हेतु नायब तहसीलदार सिरमौर के लिये प्रत्यावर्तित हुई। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उनके द्वारा बताया गया कि रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर दिया जावे। उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया।

4- प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित भूमि जमींदारी अन्मूलन केतहत शासकीय दर्ज हुई थी। इसके पश्चात तहसीलदार ने धारा 158 के तहत आवेदक यज्ञनारायण को भूमि स्वामी घोषित किया है। शासकीय दर्ज भूमि को गलत रूप से प्रायवेट व्यक्ति के नाम दर्ज किया गया था वह अपर आयुक्त रीवा द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य